

संख्या- /2022/ /001-R 10 -2263

प्रेषक,

प्रभु एन. सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक: 22/12/2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद प्रयागराज के अन्तर्गत हुए भूस्खलन से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2044/आपदा-बजट-2022-23 दिनांक 03 नवम्बर, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 18.10.2022 के ग्राम- देवरिया, तहसील-बारा में मिट्टी के टीले से भूस्खलन हो जाने के कारण सवारी देवी एवं शशिकली की मौके पर दब कर मृत्यु हो जाने के प्रकरण को दैवीय आपदा के अन्तर्गत पाते हुए मृतक के परिजन को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु बजट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरोक्त भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों में भूस्खलन आपदा में सम्मिलित होने के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण में मिट्टी के टीले से हुए भूस्खलन से मृत सवारी देवी एवं शशिकली के परिजनों को दैवीय आपदा के अन्तर्गत राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु ₹0 4,00,000/- प्रति मृतक के दर से ₹0 8,00,000/- (रुपये आठ लाख मात्र) की धनराशि जिलाधिकारी प्रयागराज के निर्वर्तन पर रखने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्त / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित

व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(3) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि के उपयोग में भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/2020-एनडीएम-1, दिनांक 10.10.2022 में निर्धारित मानक/दरों का अनुपालन किया जायेगा।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in/> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2023 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(9) भूस्खलन से प्रभावित परिवारों के आश्रित का विवरण तथा उन्हें दी गयी सहायता का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000610 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by प्रभु नारायण

सिंह

Date: 22-12-2022 13:39:52

Reason: Approved

सचिव।

संख्या- /2022/ /001-R 10 -2263, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, प्रयागराज, 50 प्र०।
- 2- मण्डलायुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज, 50 प्र०।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, 50 प्र० लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय, शास्त्री भवन, लखनऊ, 50 प्र०।
- 5- कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, प्रयागराज, 50 प्र०।
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि प्रसाद सिंह)

अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-23/12/2022

प्रेषण संख्या:- 2263
आवंटन आदेश संख्या:- 001-2263
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
10 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	प्रयागराज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	800000 800000	800000 800000
	योग	वर्तमान प्रगामी	800000 800000	800000 800000

महायोग- (वर्तमान रूपया आठ लाख
आवंटन):-
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया आठ लाख


(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आगुस्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।